

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India) जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 ● G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075 दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200



भाराराप्रा/नीति दिशानिर्देश/मानक दस्तावेज़/2025 नीति संख्या 8.1.29/2025 दिनांक 18th नवम्बर 2025

[ई-ऑफ़िस फ़ाइल संख्या भाराराप्रा/Pre-bid/HAM/CMD/2023-24 (कम्प्युटर संख्या 240412) पर लिया गया निर्णय]
NHAI/Policy Guidelines/Procurement /2025
Policy Circular No. 8.1.29/2025 dated 18th November, 2025

[Decision taken on E-Office File no. NHAI/Pre-bid/HAM/CMD/2023-24 (Comp. No. 240412)]

विषय: ईपीसी/एचएएम/बीओटी परियोजनाओं के सिविल कार्यों की निविदा प्रक्रिया में बोली-पूर्व प्रश्नों के उत्तर देने हेतु दिशानिर्देश - संबंध में।

Sub: Guidelines for Replies to Pre-Bid Queries in Procurement of Civil Works under EPC/ HAM/ BOT Projects- reg:

भाराराप्रा द्वारा नीति परिपत्र संख्या 8.1.28/2025 दिनांक 10.09.2025 के माध्यम से ईपीसी/एचएएम/बीओटी परियोजनाओं के अंतर्गत सिविल कार्यों की निविदा प्रक्रिया में प्राप्त बोली-पूर्व प्रश्नों के उत्तरों के प्रसंस्करण हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए थे। उक्त नीति परिपत्र दिनांक 10.09.2025 के अनुच्छेद-2 के संदर्भ में, सभी बोली-पूर्व प्रश्नों पर चर्चा एवं उत्तरों को अंतिम रूप देने हेतु संबंधित मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी), मुख्य महाप्रबंधक (सीएमडी) तथा मुख्य महाप्रबंधक (डीपीआर प्रकोष्ठ) कि एक स्थायी समिति का गठन किया गया था।

NHAI vide Policy Circular No. 8.1.28/2025 dated 10.09.2025 issued Guidelines for processing replies to Pre-Bid queries in procurement of Civil Works under EPC/HAM/BOT Projects. Reference para-2 of the said Policy Circular dated 10.09.2025, a Standing Committee comprising of concerned CGM (Tech), CGM (CMD) and CGM (DPR Cell) was established to discuss and finalise replies to all Pre-Bid Queries.

2. वर्तमान में मुख्य महाप्रबंधक (सीएमडी) एवं मुख्य महाप्रबंधक (डीपीआर प्रकोष्ठ) के पदों पर कोई अधिकारी पदस्थ नहीं हैं, अतः निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त नीति परिपत्र दिनांक 10.09.2025 के अंतर्गत सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन तब तक करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जब तक इन पदों पर अधिकारी पदस्थापित नहीं हो जाते:

As presently, no Officer has been posted against the posts of CGM (CMD) and CGM (DPR Cell), the following Officers are hereby authorised to discharge the functions assigned under the said Policy Circular dated 10.09.2025 till such time Officers are posted against these posts:

- i. महाप्रबंधक (सीएमडी)/ General Manager (CMD)
- ii. महाप्रबंधक (डीपीआर प्रकोष्ठ)/ General Manager (DPR Cell)
- 3. उपर्युक्त नीति परिपत्र दिनांक 10.09.2025 के अनुसार तकनीकी प्रभाग, डीपीआर परामर्शदाता तथा वित्तीय परामर्शदाता के परामर्श से बोली-पूर्व प्रश्नों के उत्तर तैयार करेगा, जिन्हें अंतिम रूप देने हेतु स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं:

As per aforesaid Policy Circular dated 10.09.2025, Technical Division shall prepare replies of the Pre-Bid queries in consultation with DPR Consultant and Financial Consultant which shall be put up before the Standing Committee to finalise the replies. In addition, the following clarifications are issued:

Contd....2

102

- i. केवल वे बोली-पूर्व प्रश्न, जो अनुबंध समझौते की धाराओं की व्याख्या से संबंधित हों, उन्हें ही उक्त समिति के समक्ष विचार एवं अंतिम रूप देने के लिए भेजा जाएगा।

 Only Pre-Bid queries related to interpretation of Contract Agreement clauses shall be referred to the said Committee for deliberation and finalisation.
- ii. कार्य के दायरे तथा अन्य परियोजना-विशिष्ट विषयों से संबंधित बोली-पूर्व प्रश्नों का परीक्षण एवं अंतिम रूप देने का कार्य संबंधित तकनीकी प्रभाग द्वारा किया जाएगा तथा उन्हें समिति के समक्ष नहीं भेजा जाएगा।

 Pre-bid queries related to Scope of Work and other Project-specific aspects shall be examined and finalised by the concerned Technical Division and shall not be referred to the Committee.
- iii. तकनीकी प्रभाग यह सुनिश्चित करेगा कि जिन बोली-पूर्व प्रश्नों को पहले ही अंतिम रूप देकर परिचालित किया जा चुका है, उन्हें दोबारा समिति को नहीं भेजा जाए। The Technical Division shall ensure that Pre-Bid queries already finalised and circulated are not resubmitted to the Committee.
- iv. यदि किसी कारणवश स्थायी समिति की ओर से विलंब होता है, तो तकनीकी प्रभाग बोली-पूर्व प्रश्नों के उत्तर जारी करने में विलंब नहीं करेगा।
 In case of any delay on the part of Standing Committee, Technical Division shall not withhold issuance of replies to Pre-Bid queries.
- 4. इसे आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है। This issues with the approval of Competent Authority.

(सीएस. संजय कुमार पटेल/(CS. Sanjay Kumar Patel) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक (समन्वय)/ I/c Chief General Manager (Coord.)

सेवा में/To:

भाराराप्रा मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों/परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों/गिलयारा प्रबंधन इकाइयों/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी All Officers of NHAI-HQ/ROs/PIUs/CMUs/Site Offices

प्रतिलिपि/ Copy to:

- 1. पुस्तकालय परिपत्र को पुस्तकालय साइट पर प्रदर्शित करने हेतु Library for hosting the circular on library site.
- 2. वेब प्रशासक परिचालन हेतु Web Admin for circulation.
- 3. सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ । PPS to Secretary, MoRTH for kind information.